राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर – 302 005
दूरभाष न. 0141–2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ/जय/निविदा/2020/ 90-172 दिनांक :– 24.06.2020

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

जयपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्यमन चैकिंग के दौरान जप्त शुदा खनिज बजरी **(जैसी हैं उसी स्थिति में)** पडी हुई है, जिसे दिनांक 20 जुलाई 2020 को नीलाम किया जाना है, जिसे सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार सात समुहो में बांटा गया है :–

ग्रुप–ए

क्रम सं.	पुलिस थाने का नाम जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/ अमानत राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)
1	दौलतपुरा चौकी	46	50,000	16,53,000
2	सायपुरा चौकी	173		
3	आमेर	20		
4	सराय बावडी	30		
5	चन्दवाजी चौकी	213		
6	जालसू	6		
7	जाटावाली	40		
8	अचरौल चौकी	48		
9	टाटियावास चौकी	186		
10	कुण्डा चौकी	136		
11	कालवाड	618		
12	करधनी	494		
13	हरमाडा	360		
	योग	**2370**	**50,000**	**16,53,000**

ग्रुप–बी

1	विद्याधर नगर	48	50,000	18,78,100
2	महेश नगर	72		
3	मानसरोवर	262		
4	शिप्रा पथ	106		
5	मालवीयनगर	122		
6	जवाहर सर्किल	72		
7	श्याम नगर	30		
8	करनी विहार	330		
9	ब्रह्मपुरी	61		
10	बजाज नगर	131		
11	मुरलीपुरा	222		
12	विश्वकर्मा	73		
13	बिंदायका चौकी	306		
14	चित्रकूट	29		
15	भट्टा बस्ती	60		
16	शास्त्री नगर	104		
17	सोडाला	3		
18	वैशाली नगर	46		
19	ज्योति नगर	32		
20	जवाहर नगर	20		

Scanned with CamScanner

21	ट्रांसपोर्ट नगर	141		
22	आदर्श नगर	80		
23	गांधी नगर	4		
24	रामंगज	14		
25	गलता गेट	315		
	योग	**2683**	**50,000**	**18,78,100**

ग्रुप–सी

1	कालाडेरा	315	50,000	6,58,000
2	गोविन्दगढ	182		
3	चौमू	250		
4	रेनवाल	72		
5	सामोद	47		
6	खेजडोली चौकी	74		
	योग	**940**	**50,000**	**6,58,000**

ग्रुप–डी

1	मुहाना	956	50,000	34,09,700
2	मुहाना मण्डी	107		
3	सांगानेर	1289		
4	प्रतापनगर	384		
5	सांगानेर सदर	291		
6	खो नागोरियान	189		
7	सेज थाना	424		
8	दांतली सिरोली चौकी	12		
9	शिवदासपुरा	1219		
	योग	**4871**	**50,000**	**34,09,700**

ग्रुप–ई

1	बस्सी	46	50,000	9,39,400
2	तुंगा बस्सी	120		
3	आंधी	154		
4	बगराना चौकी	250		
5	कानोता	327		
6	जटवाडा	12		
7	जमवारामगढ	188		
8	रायसर चौकी	245		
	योग	**1342**	**50,000**	**9,39,400**

ग्रुप एफ

1	फागी	2415	50,000	33,67,000
2	माधोराजपुरा चौकी	449		
3	निमेडा	406		
4	रेनवाल चौकी (फागी)	631		
5	चाकसू	667		
6	कोटखावदा	242		
	योग	**4810**	**50,000**	**33,67,000**

ग्रुप–जी

1	फुलेरा	73.46	50,000	4831722
2	जोबनेर	452		
3	नरैना	126		

Scanned with CamScanner

4	बंधे के बालाजी			
5	दूदू	57		
6	मौजमाबाद चौकी	1412		
7	सामर	80		
8	बगरू	76		
9	भांकरोटा	1835		
10	महला चौकी	2148		
11	बिचून चौकी	597		
		46		
	योग	6902.46		
	कुल योग	23918.46	**50,000**	**48,31,722**
			3,50,000	**1,67,42,922**

निविदा कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :– नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार /विभाग द्वारा निविदा शर्तो में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. प्रत्येक समुह के लिए अलग निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **समुह का नाम** लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 20 जुलाई 2020 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ समूह के अनुसार बयाना/अमानत राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **खनि अभियन्ता, जयपुर** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक समुह के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि रू. 10/– प्रतिटन के गुणको में ही मान्य होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) मे की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जप्तशुदा बजरी समूह (पुलिस थाना/चौकी परिसर) में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफलतम निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित समुह की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन (इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं **पेन कार्ड** इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

Scanned with CamScanner

13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बंधित ऊपर अंकित अधिकारियों को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनो की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमो के अनुसार होगी।

(अनिल गुप्ता)
खनि अभियन्ता जयपुर
दिनांक : 24.06.2020

क्रमांकः– खअ/जय/नीलामी/2020/ 90-172

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. प्रभारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना मुहाना, मुहाना मण्डी, भांकरोटा, कालाडेरा, कालवाड, करधनी, हरमाडा, गोविन्दगढ, विधाधर नगर, चौमू, दौलतपुरा चौकी, महेश नगर, मानसरोवर, शिप्रापथ, सांगानेर, प्रताप नगर, सांगानेर सदर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, श्याम नगर, करणी विहार, शिवदासपुरा, चाकसू, रेनवाल, फागी, माधोराजपुरा चौकी, बस्सी, कोटखावदा, तुंगा बस्सी, बिचून चौकी, दूदू, फुलेरा, जोबनेर, नरैना, बगरू, सायपुरा चौकी, आमेर, रासर चौकी, आंधी, ब्रह्मपुरी, महला चौकी, मौजमाबाद चौकी, बजाज नगर, मुरलीपुरा, बिन्दायका चौकी, विश्वकर्मा, चित्रकूट, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, सोडाला, वैशाली नगर, ज्योति नगर, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, गांधी नगर, गलता गेट, खो–नागोरियान, सेज थाना, दांतली सिरोली चौकी, जमवारामगढ, माधोराजपुरा, निमेडा, रेनवाल फागी, रेनवाल चौकी, बन्धे के बालाजी, सराय बावडी, चन्दवाजी चौकी, जालसू, जाटावाली, अचरोल चौकी, बगराना चौकी, कानोता, जटवाडा, खेजडोली चौकी, सामोद, टाटियावास चौकी।
7. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता, जयपुर

Scanned with CamScanner